

<p>तारीख हुक्म</p>	<p>मुं सं 31/2020 GICMS NO-2020/00046 हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज</p>	<p>नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुये</p>
<p>28-01-2021</p>	<p>अपीलान्ट अनुपस्थित। पैरोकार सरकार उपस्थित। लोक सूचना अधिकारी एवं जिला रसद अधिकारी धौलपुर के पत्र क्रमांक रसद/सू.अ./2020/72 दिनांक 05.1.2021 के जरिये टिप्पणी प्राप्त हुई। लोक सूचना अधिकारी एवं जिला रसदी अधिकारी धौलपुर ने अपनी रिपोर्ट में अवगत कराया है कि अपीलार्थी श्री अशोक सिंधल द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के अन्तर्गत चाही गई सूचना लोक सूचना अधिकारी एवं जिला रसद अधिकारी धौलपुर के पत्र क्रमांक: रसद/सू.अ./2020/2977 दिनांक 31.12.2020 के जरिये अपीलान्ट श्री अशोक सिंधल को उपलब्ध करा दी गई है। पत्र की प्रति संलग्न कर पेश की है।</p> <p>इस प्रकार लोक सूचना अधिकारी एवं जिला रसद अधिकारी धौलपुर द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत अपीलान्ट को सूचना उपलब्ध करा दी गई है। अतः प्रकरण में आगे कार्यवाही किया जाना उचित नहीं है। अतः प्रथम अपील, अपीलान्ट इसी स्तर पर निस्तारित की जाती है। लोक सूचना अधिकारी एवं जिला रसद अधिकारी धौलपुर से प्राप्त रिपोर्ट की प्रति अपीलान्ट को उपलब्ध कराई जावे। पत्रावली फ़ैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफतर हो नम्बर से कम की जावे।</p> <p style="text-align: right;">(आरो के0 जायसवाल) जिला कलक्टर, धौलपुर</p>	